8670 ।। श्री गणेशाय नमः ।। (25)

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 762629

TREASURY, MATHURA
13 SEP 2004
SIGNATURE-S. T. O.
TRY-MTR (U.P.)

बैनामा 800000/–रूपया स्टाम्प हेतु मालियत 823733/–रूपया स्टाम्प देय 82400/–रूपया जिसमें से 25000/–रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–17.6.2004 प्रलेख संख्या–5525 द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष <u>57500</u>/–रूपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/–रूपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या–41 के कमांक 1 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ0नि0 मथुरा द्वितीय।

हमकि इन्दरचन्द पुत्र श्री सुन्नी व ओमप्रकाश पुत्र श्री बिरजी व दयौली व शिवचरन पुत्रगण श्री जंगली निवासीगण ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा के हैं।

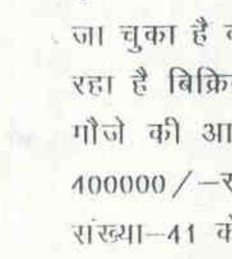
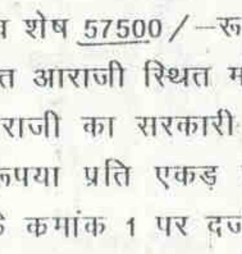
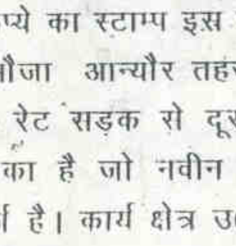
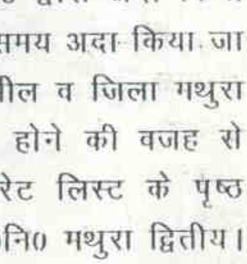

R. P. PATHAK Advocate Civil Court MATHURA — R. P. PATHAK Advocate Civil Court MATHURA — R. P. PATHAK Advocate Civil Court MATHURA — Civil Court MATHURA

इन्दर चन्द

15/9/04 25001

Dr. N. K. Jakar
Assistant Cashier
Treasury Office MATHURA

5000
5025

भाग ... II ...

15-9-04

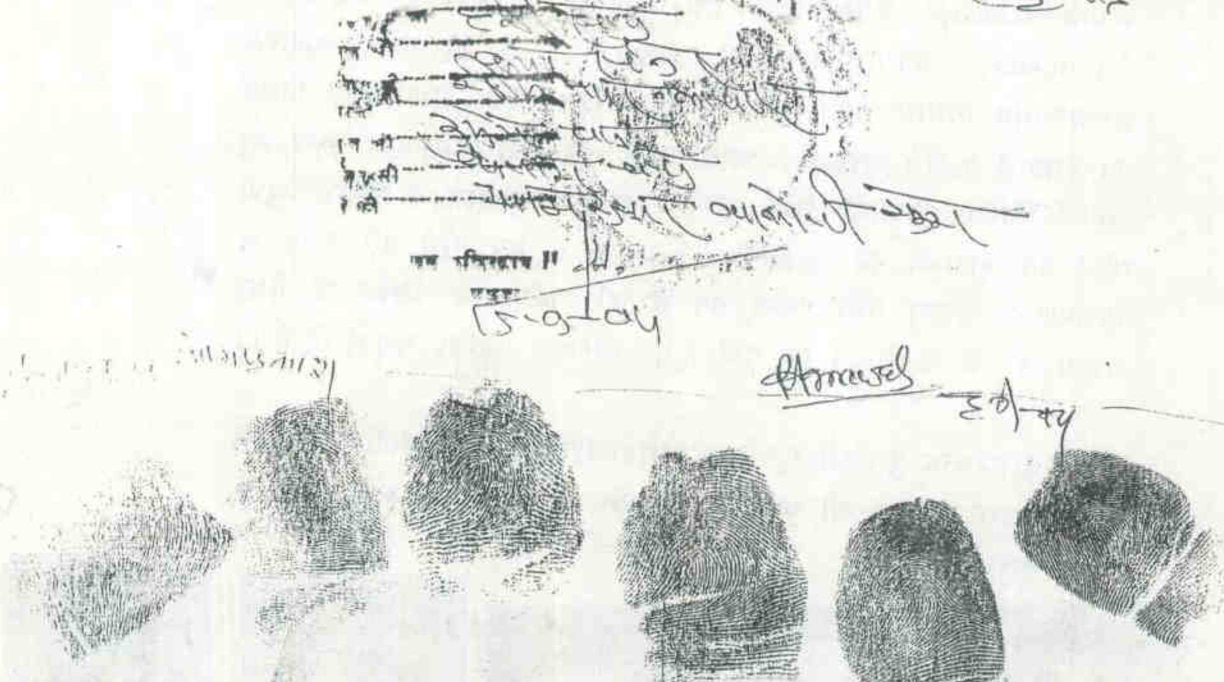

खाली नम दर्ज नहीं हैं
जिस अंगूठा निशान लिये गये

15-9-04

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

TREASURY, MATHURA

13 SEP 2004

SIGNATURE-Sr. T.O.

03DD 762630

(2)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–6 व खसरा नंबर–62 रकबा 0.833 हैक्टेयर लगानी 13.65 रूपया सालाना बाके मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत हमारी है और सरकारी कागजात माल में हमारा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर हमारा ही कब्जा है और जिसके विषय में हमको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय हमारे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो हमारे इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

000186

08 SEP 2004

(U.P.)

(3)

या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत हमारी ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/-रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 823733/-रूपया है आराजी खार खडडेदार ऊंची नीची है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में हमारा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से हमको एक अच्छी व निश्चित आय हो

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

TREASURY, MATHURA

09 SEP 2004

000185

(4)

जावेगी अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो हमको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 800000/—आठ लाख रूपये जिसके आधे 400000/—चार लाख रूपया होते हैं। बदस्त श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै. कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 200000/—रूपया खरीदार से बतौर पैशगी बजरिये इकरारनामा पहले पाये व 600000/—रूपये नकद वक्त रजिस्ट्री पाकर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा

इन्द्र चन्द ओमप्रकाश

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

000184

(5)

दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ। खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब हमको व हमारे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद

ओमप्रकाश

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

000183

(6)

किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब हमारे जिम्मे है और खरीदार वह सब हमसे व हमारे वारिसानों व हमारी चल अचल सम्पत्ति से हस्ब जाब्ता मय खर्चे के

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

000182

08 SEP 2004

(7)

वसूल करलें। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। विक्रेता ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अलावा केता के अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता

1000Rs.

000181

TREASURY, MATHURA
0 8 SEP 2004
M.F.B. (U.P.)

के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर ड्राफ्ट किया गया है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–4 खण्ड 33 के सफा 163 / 166 नंबर–560 पर दिनांक–30.12.2003 हुआ है, के द्वारा गुड्डा राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान, मथुरा को क्रेता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन

1000Rs.

000180

(9)

कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। उक्त आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 823733/–रूपये है जिस पर 82400/–रूपये का स्टाम्प देय है जिसमें से 25000/–रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–17.6.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 1185 के सफा 335/352 नंबर–5525 हुई, के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 57500/–रूपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहाहै।

500Rs.

(10)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–15.9.2004

टाईप किया : गोपाल कृष्ण झारिया, मथुरा ।

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

400

स्टाम्प कीमत

मुरारी लाल शर्मा
स्टाम्प विक्रेता लाइ0 नं0 13 अन
दफ्तर रजिस्ट्री मथुरा

कोषागार, मथुरा
विक्रय तिथि
02 SEP 2004
हस्ताक्षर........
रोकड़िया

आज दिनांक 15-09-04 को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक नं. 1 जिल्द नं. 12860 के पृष्ठ 321-340
.... में नम्बर .... पर रजिस्ट्री
दर्ज किया गया।

0628

उप निबन्धक द्वितीय, मथुरा

5526 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

007

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा

16 JUN 2004

Sr T O

300019

इकरारनामा मुहायदा बै 625000/- रूपये ब्याना 200000/- रूपया म्याद सात माह इस समय अदा किया जाने वाला स्टाम्प 25000/-रूपया कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा द्वितीय।

हम कि इन्दरचन्द पुत्र श्री शुन्नी व ओमप्रकाश पुत्र श्री बिरजी व दयोली व शिवचरन पुत्रगण श्री जंगली निवासीगण ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा के हैं।

इन्दर चन्द ओमप्रकाश नि० अं० दयोली नि० अं० शिवचरन

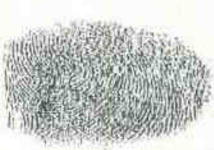

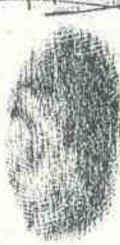

5000/- 20/- 5020/- 900

17/06/07

17/6/07

17/06/07

17/6/07

17/6/07

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

007
वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
16 JUN 2004

J00018

(2)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–6 व खसरा नंबर–62 रकवा 0.833 हैक्टेयर लगानी 13.65 पैसा सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत हमारी है। और हमारा ही नाम दर्जकागजात सरकारी है। जिस पर हमारा वास्तविक मालिकाना कब्जा है और जिसके विषय में हमको हर तरह के अधिकार मालिकाना व काविजाना तथा हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं और जो हर तरह के झगड़े झंझट कर्जे आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय हमारे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.   R$5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

J00017

007
वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
16 JUN 2004
S.T.O

(3)

संबंध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो आराजी बेचने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सकें। उक्त आराजी पर किसी भी सरकारी संस्था वित्तीय संस्था व बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई वार या भार बकाया नहीं है। यानि कि बेचे जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत हमारी ही है और हमारे इसी विश्वास कराने पर के सौदा किये जाने वाली आराजी के हम ही एक मात्र स्वामी हैं खरीदार उक्त आराजी को

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000016

खरीदने को तैयार हुआ है। अब हमने अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा 625000/–छैः लाख पच्चीस हजार रूपये में प्रतापसिंह पुत्र श्री गोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालोनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा से तय कर लिया है और क्रेता से 200000/– दो लाख रूपये बतौर पैशगी नकद वक्त रजिस्ट्री इकरारनामा पाये व शेष रूपया वक्त रजिस्ट्री बैनामा मिलेगा। खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि सब खरीदार के जिम्मे हैं। म्याद करने बैनामा सात माह तय हुई है। हम उक्त म्याद

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

J00647

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
16 JUN 2004
Sr T O

(5)

में उक्त आराजी की बेचने की आज्ञा जिलाधिकारी महोदय से लेकर व समस्त कानूनी पूर्ति करके खरीदार के नाम या खरीदार के कहे अनुसार व्यक्ति के हक में बैनामा कर देंगे। यदि हम उक्त अवधि के अन्दर उक्त शर्तों के अनुसार उक्त आराजी का बैनामा न करें तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह द्वारा अदालत शर्ते पूरी कराते हुये मय हर्जा खर्चा नुकसान आदि के बैनामा करालें ऐसी दशा में खरीदार के समस्त हर्जे खर्चे की

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. R$ 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
16 JUN 2004
कोषाधिकारी Sr T O

000648

(6)

हमारी जिम्मेदारी होगी और यदि हमारे द्वारा सभी शर्ते पूरी कर, बैनामा करने को तैयार रहने पर भी क्रेता ने म्याद के अन्दर बैनामा न कराया तो फिर उसे कोई अधिकार बैनामा कराने या ब्याना वापिसी का न होगा। कब्जा उक्त आराजी का वक्त रजिस्ट्री बैनामा मिलेगा। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये है। उपरोक्त इकरारनामा क्रेता व विक्रेता व गवाहान को पढ़ाकर व सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट किया गया है।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

000649

007
वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
1 5 JAN 2004
Sr T O

(7)

मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–4 खण्ड 33 के सफा 163/166 नंबर–560 पर दिनांक–30.12.2003 हुई है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को क्रेता प्रतापसिंह पुत्र श्री

इन्द्र चन्द्र ओमप्रकाश

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

J30650

कोषाधिकारी मथुरा

16 JUN 2004

Sr T O

(8)

गोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालोनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

ओमप्रकाश

इन्दर चन्द

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

030651

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
16 JUN 2004
Sr T O

(9)

लिहाजा यह इकरारनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें। जिसके हम व हमारे वारिसान पाबन्द रहेगें।

दिनांक–17.6.2004

टाईप किया : गोपाल कृष्ण झारिया, मथुरा ।

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा ।

17.06.03

1185 3325

5525

560

50 Rs.

<u>मुख्तारनामा आम परिवर्तनीय स्टाम्प 50/–रूपये कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा।</u>

मैं कि प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहरसिंह निवासी मोतीकुज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का हूं।

जो कि मुझे कस्बा गोवर्धन व ग्राम आन्यौर तहसील व मथुरा में सम्पत्ति क्रय करनी हैं व बेचनी हैं और मैं अपने व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहता हूं तथा हर समय मथुरा रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित रहकर प्रलेख के निष्पादन में मुझे असुविधा होती है अतः मैं अपनी ओर से अपने विश्वासपात्र राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा व राजीव अग्रवाल पुत्र श्री महेशचन्द्र जी निवासी जमुनाधाम गोवर्धन चौराहा मथुरा को अपना मुख्तारआम नियुक्त कर अधिकार देता हूं कि मुख्तारआम उपरोक्त प्रथक प्रथम रूप सें या संयुक्त रूप से मेरे

कोषागार, मथुरा

11 DEC 2003

प्रतापसिंह

महेन्द्र सिंह

30/12/0

प्रतापसिंह

महेशचन्द्र

30/12

... के लिए ... सिद्ध किये गये।

30/12/0

हक में सम्पत्तियों का विक्रय पत्र करायें, मेरी ओर से तहरीर व तकमील का इकबाल करें, मेरे हक में विक्रय पत्र व अन्य सभी प्रकार के प्रलेख निष्पादित करायें, मेरी ओर से मूल्य का रूपया,अदा करें, सम्पत्तियों को बेचे, कीमत का रूपया प्राप्त करें, तहरीर व तकमील का इकबाल करें, क्रय पत्र व विक्रय पत्र में मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर करें, रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत करें, भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषितकराये, भूमि की डिमारकेशन कराये, प्लोटिंग करायें, तहसील चकबन्दी में दाखिला खारिज कराये, प्रार्थना पत्र हरकिस्म देवे, इजाजत हर किस्म की प्राप्त करें, यानी कि मेरे हक में सम्पत्तिय विक्रय पत्र कराने के सम्बन्ध में व मेरी ओर से सम्पत्तियों को बेचने के सम्बन्ध में व सम्पत्तियों की प्रबन्ध व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में जो जो और जब जब और जहां जहां निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक की कार्य व कार्यवाहियां करनी आवश्यक हों मुख्तारआम उपरोक्त मेरी ओर से अपने हस्ताक्षरों संयुक्त रूप से या प्रथक प्रथक रूप से करें जो मुझको मंजूर व स्वीकार होगी।

इसलिये यह मुख्तारनामा आम परिवर्तनीय दोनों पक्षों की उपस्थिति में व गवाहान की उपस्थिति में उन्हें पढ़ा सुनाकर व दिखाकर बखुशीराजी खूब सोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें..।

दिनांक–30.12.2003

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

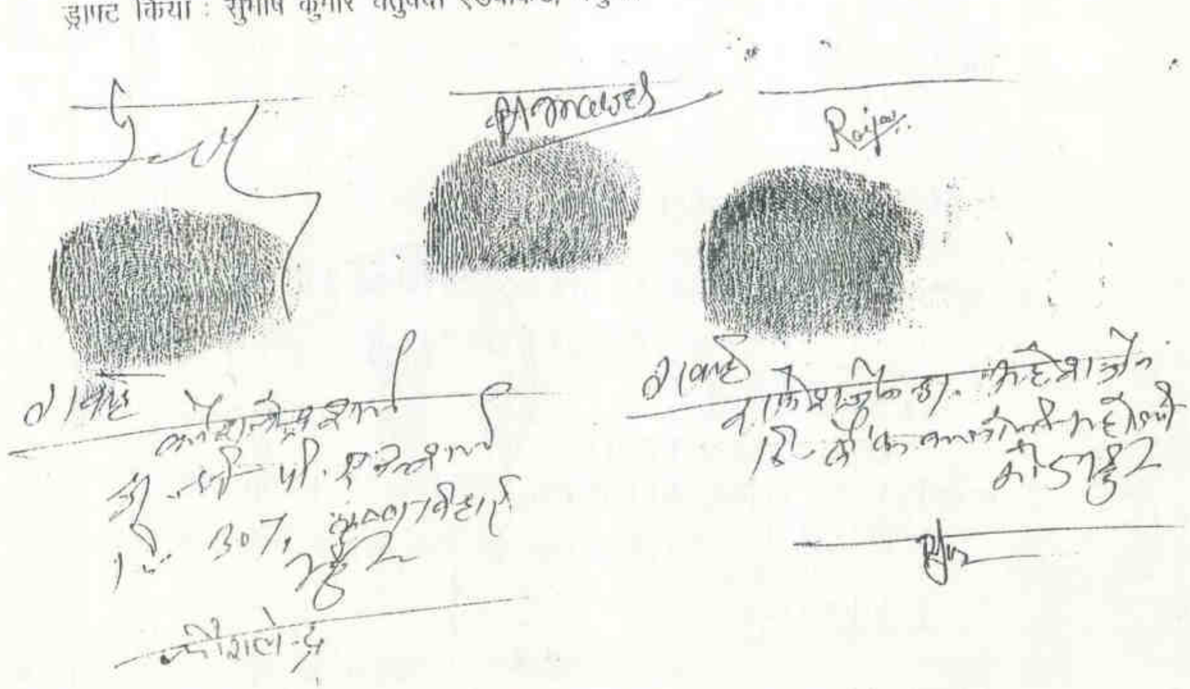

80-12-03

[illegible] /163—166

[illegible] 560

[illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी मथुरा

वाद संख्या 05 सन 2004-05

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा -143 ज॰वि॰एवं॰भू॰व्य॰अ॰

मौजा -नगला गदौला

घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज॰वि॰एवं॰भू॰व्य॰अ॰

तहसीलदार , मथुरा की आख्या दिनांक 8-1-2005 से स्पष्ट है कि मौजा नगला गदौला तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता खतौनी संख्या 147 व 146 खसरा संख्या 107 व 110 रकबा 1.569 का 1/2 व .569 राजस्व 27.25व 9.55प्रतापसिंह पुत्र मोहनसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा विरजापुर तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं । मौके पर यह भूमि कृषि ,बागवानी , मत्स्यपालन ,कुक्कुटपालन ,पशुपालन आदि कृषि के कार्यों में नहीं आ रही है ।। तहसीलदार ,मथुरा आबादी घोषित करने की संस्तुति की गई है ।

प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार ,मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्नप्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है ।

ग्राम परगना जिला	भूमिधर नाम	का नाम पिता का व पता	खाता संख्या	खसरा नम्बर रकबा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में लाये जाने वाली भूमि का विवरण खसरा रकबा भूराजस्व		अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
नगला गदौला मथुरा	प्रताप सिंह	पु. मोहन सिंह नि.मोतीकुंज एक्सटेंशन विरजापुर मथुरा	147 146	107 1.539 110 .549	27.25 9.53	.7841 .549	13.62 9.55	

योग -2 किता 2 किता 2.116 हे॰36.80 पैसे 2किता 1.333हे॰ 23.17 पैसे

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार मथुरा व उपनिबन्धक मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे ।

दिनांक 3.3.2005

(अश्वनी कुमार)
उपजिलाधिकारी,मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार मथुरा व उपनिबन्धक ,मथुरा को उपरोक्तानुसार अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे ।

3.3.05
(अश्वनी कुमार)

Copy दिनांक

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 057/2004-05

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा-143 ज•वि•एवं भू•व्य•अ•

मौजा-आन्यौर

-=: घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज•वि•एवंभूमि व्य•अ• :=-

==

तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 8•1•2005 से स्पष्ट है कि मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता खतौनी संख्या 6 खसरा संख्या 62 रकबा 0•833 है। भूराजस्व 13•65 पैसे प्रतापसिंह पुत्र मौहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा मिरजापुर तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन आदि कृषि के कार्यों में नहीं आ रही है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा आबादी घोषित करने की संस्तुति की गई है।

प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्न प्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है।

[illegible] भूमिधर का नाम	पिता का नाम व पता	खाता संख्या व रकबा	खसरा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का विवरण खसरा	रकबा	भूराजस्व	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible] आन्यौर	प्रतापसिंह पुत्र मौहरसिंह नि•मोतीकुंज एक्सटेंशन मिरजापुर, मथुरा	6	62	•833	13•65•62	•833	13·65पैसे	अकृषिक

योग-1 किता/0•833 है• लगानी 13•65 पैसा

उपरोक्त घोषणा की एक प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उपनिबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने को भेजी जावे।

दिनांक 3•3•2005

ह० [illegible]

{ अवनी कुमार }

उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को उपरोक्तानुसार अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु प्रेषित की जावे।

ह० [illegible]

[illegible] 106

[illegible] 4-3-05

[illegible] 13-00

[illegible] 4-3-05

[illegible] 4-3-05

नकल खतौनी

(उन क्षेत्रों हेतु जहां ज० वि० एक्ट लागू है।)

ग्राम नगला सतोहा परगना व तहसील ” जिला मथुरा सन् १४०४ फसली से १४०९ फसली तक

खाता खतौनी	खातेदार का नाम व पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त करने का वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे० एवं बीघा में	लगान व माल गुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद और रजिस्ट्रार कानूनगो का पंचायत द्वारा साक्षीकृत हुये						टिप्पणी
						सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
	श्रेणी एक (क) — १-क अधिवासी भूमिधर											
१८६	सोनी पुत्र पूरना निवासी सतोहा व मोहनलाल कर्ता HUF पुत्र श्रीनाथ दास अग्रवाल निवासी कोठी हरीपर्वत आगरा	१४०४ फ०	२०९	४.५२६	२५-२५	१४१२ फ० — सोनी पुत्र पूरन का आदेश क्र० सं० १४६ पर अंकित है।						Sd. लेखपाल 10-9-04

नकल उतारी कागजात के ही पढ़ा मुताबिक असल प्राप्त की।

जगपाल सिंह लेखपाल
हल्का सतोहा
17-2-05

नकल खतौनी

(उन क्षेत्रों हेतु जहां ज० वि० एक्ट लागू है।)

नाम ग्राम नगला [illegible] परगना व तहसील [illegible] जिला [illegible] सन् १४०८ फसली से १४१३ फसली तक

खाता खतौनी	खातेदार का नाम व पिता का नाम और निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्राप्त करने का वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे० एवं बीघा में	लगान व माल गुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद और रजिस्ट्रार कानूनगो का पंचायत द्वारा साक्षीकृत हुये						टिप्पणी
						सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
	श्रेणी १ क (क) — संक्रमणीय भूमिधर											
१८६	सोनी पुत्र पूरना नि० सतोहा	१४०८फ०	११०	०-५४७	७-२५	१४१२ फ० — व आदेश श्रीमान रा०नि० मथुरा प०११क के कु० १५ पारित आदेश के अनुपालन में खसरा सं० १४६ व १४७ से सोनी मृतक के स्थान पर पूरन व रघुवीर (?) व बनवारी पुत्रगण सोनी व पाकुरा पत्नी सोनी नि० सतोहा को नाम बतौर वारिस दर्ज हो। ह० [illegible] 10-9-04 १४१२ फ० व आदेश श्रीमान तह० महोदय मथुरा वाद सं० 147, T.M. दिनांक 31-8-04 के अनुसार खाता सं० 146 व 147 से खसरा सं० 107/1-569, 110/0-549 मकबूजा 60% के अनुसार विक्रेतागण पूरन रघुवीर (?) राम व बनवारी पुत्रगण सोनी व पाकुरा पत्नी सोनी नि० सतोहा का नाम खारिज करके क्रेता प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि० मोती कुंज खसरा सं० मथुरा का नाम बतौर सं० ३० दर्ज हो। ह० [illegible] 10-9-04							

नकल मुताबिक असल के है। पत्रक मुताबिक मैंने प्राप्त की।

[illegible] योग-सतोहा

18-2-05

नकल खतौनी

(उन क्षेत्रों हेतु जहां ज० वि० एक्ट लागू है।)

नाम ग्राम [illegible] परगना व तहसील [illegible] जिला मथुरा सन् 1408 फसली से 1413 फसली तक

खाता-खतौनी	खातेदार का नाम व पिता का नाम और निवास स्थान	मौतिक अधिकार प्राप्त करने का वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे० एवं बीघा में	लगान व माल गुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद और रजिस्ट्रार कानूनगो का पंचायत द्वारा साक्षीकृत हुये						टिप्पणी
						सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	सन् फसली	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
	श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर					सन् 1411 F. [illegible]						[illegible] 1/3
६	इन्द्र चन्द पुत्र [illegible] व आनन्दप्रकाश पुत्र [illegible] व [illegible] व [illegible] पुत्र [illegible]	[illegible] 1426 [illegible]	42	0.494		सं० 377 [illegible] 7-2-04 / 12-2-04 के आदेश हुआ कि खाता नं० 331 [illegible]						[illegible] 1/6
		[illegible] 1426 [illegible]	62	0.833		[illegible] 0.514 [illegible]						[illegible] 1/6
		[illegible]	—	—		[illegible]						
		[illegible]	2	1.349	18-02	[illegible] 22-10-02 [illegible] 24-10-03 व 28-12-03 [illegible]						

सत्यप्रतिलिपि

[illegible]

[illegible] 12-2-04

[illegible] 17-2-04